भारत सरकार

कोयला मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 4172

जिसका उत्तर 26 मार्च, 2025 को दिया जाना है

विद्युत क्षेत्र को कोयले की आपूर्ति

4172. श्री चंदन चौहानः
श्री अनूप संजय धोत्रेः
श्री मनीष जायसवालः

क्या **कोयला** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान विद्युत क्षेत्र के लिए 906 मिलियन टन के कोयले की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए कोई कार्यनीति तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) भीषण गर्मी के महीनों के दौरान कोयले की संभावित कमी की समस्या से निपटने के लिए किए गए उपायों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या मांग में इस अप्रत्याशित वृद्धि को पूरा करने के लिए कोई आकस्मिक योजना है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

कोयला एवं खान मंत्री

(श्री जी. किशन रेड्डी)

(क) और (ख) : देश में कोयले की पर्याप्त उपलब्धता है। सरकार का ध्यान देश की ऊर्जा आवश्यकता को पूरा करने के लिए कोयले के घरेलू उत्पादन को बढ़ाने पर है। देश ने वर्ष 2023-24 में अब तक का सबसे अधिक कोयला उत्पादन किया है। वर्ष 2023-2024 में अखिल भारतीय घरेलू कोयला उत्पादन वर्ष 2022-2023 में 893.191 मि.ट. की तुलना में लगभग 11.71% की वृद्धि के साथ 997.826 मिलियन टन (मि.ट.) था।

चालू वर्ष 2024-25 (फरवरी, 2025 तक) में, देश ने पिछले वर्ष 2023-24 की तदनुरूपी अवधि में 881.16 मि.ट. की तुलना में 5.45% की वृद्धि दर के साथ 929.15 मि.ट. (अनंतिम) कोयले का उत्पादन किया है।

विद्युत मंत्रालय ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 906.1 मि.ट. की अपनी घरेलू कोयले की आवश्यकता के बारे में सूचित किया, जिसके लिए कोयला मंत्रालय ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए विद्युत क्षेत्र को 906.1 मि.ट. की घरेलू कोयला आपूर्ति योजना से अवगत कराया है।

(ग) और (घ) : केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) के अनुसार, घरेलू कोयला आधारित विद्युत संयंत्रों में कोयले का स्टॉक दिनांक 18.03.2025 को पिछले वर्ष 2023-24 के तदनुरूपी तिथि को 46.03 मि.ट. की तुलना में 15.60 प्रतिशत की वृद्धि दर के साथ 53.21 मि.ट. रहा। वर्तमान कोयला स्टॉक 85% प्लांट लोड फैक्टर (पीएलएफ) पर लगभग 20 दिनों के लिए पर्याप्त है।

विद्युत संयंत्रों को कोयले की आपूर्ति करना एक सतत प्रक्रिया है। कोयले की आपूर्ति की कोयला कंपनियों तथा विद्युत मंत्रालय, कोयला मंत्रालय, रेल मंत्रालय, केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए), कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) तथा सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लि (एससीसीएल) के प्रतिनिधियों वाले एक अंतर-मंत्रालयी उप समूह द्वारा भी निरंतर निगरानी की जाती है जो ताप विद्युत संयंत्रों को कोयले की आपूर्ति बढ़ाने के लिए विभिन्न प्रचालनात्मक निर्णय लेने हेतु नियमित रूप से बैठक करते हैं।

इसके अलावा, कोयला आपूर्ति और विद्युत उत्पादन क्षमता में वृद्धि की निगरानी करने के लिए एक अंतर-मंत्रालयी समिति (आईएमसी) का भी गठन किया गया है जिसमें अध्यक्ष, रेलवे बोर्ड; सचिव, कोयला मंत्रालय; सचिव, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय और सचिव, विद्युत मंत्रालय; शामिल हैं। सचिव, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय और अध्यक्ष, सीईए को आईएमसी द्वारा आवश्यकता पड़ने पर विशेष आमंत्रित के रूप में सहयोजित किया जाता है।

******